यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल** के माह 04/2012 से माह 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अंशुमन अग्रवाल, श्री गोविन्द कुमार सिंह, एवं श्री निखिल गोस्वामी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 26.12.2018 से 31.12.2018 तक संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री नीरज चुरंगू, श्री हनुमान सिंह एवं श्री प्राचीश सिंघल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2012 से 21.09.2012 तक श्री डी.पी. लखेड़ा लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2005 से 03/2012 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः वृक्षारोपण एवं भूमि संरक्षण कार्य।

3. (ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत 6 वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2012-13	8.14
2013-14	0.28
2014-15	1.26
2015-16	1.22
2016-17	0.52
2017-18	0.23

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत 06 वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थपना		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		स्थापना	गैर स्थापना
2012-13	-	-	222.26	222.26	57.65	57.65	-	-	-
2013-14	-	-	248.92	248.32	40.11	40.11	-	-	-
2014-15	-	-	208.65	208.65	98.47	98.47	-	-	-
2015-16	-	-	337.63	337.63	44.78	44.78	-	-	-
2016-17	-	-	432.38	432.30	51.16	51.16	-	-	-
2017-18	-	-	500.91	500.91	48.69	48.69	-	-	-

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0	प्राप्त	व्यय	बचत(-)/ आधिक्य (+)
		-			

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "B" श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी- उप प्रभागीय वनाधिकारी- वन क्षेत्राधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 12/2012, 10/2015, 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 12/2012, 10/2015, 03/2017, 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय
भाग 2 (ब)

प्रस्तर 01 - अनियमित व्यय ₹ 21.85 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 ग्लोबल कम्प्युटर सोसाइटी मल्लीताल द्वारा अप्रैल 2015 से मार्च 2018 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 04/2015 से 03/2018 तक ₹2185416 का भुगतान किया गया है। फर्म मै0 फर्म ग्लोबल कम्प्युटर सोसाइटी नैनीताल से अनुबंन्ध बिना निविदा के आमंत्रण किये ही कर लिया गया था। जबकि अनुबन्ध किये जाने के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के अनुसार निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित न किये जाने का तथ्य स्वीकार किया गया। उक्त के अतिरिक्त सेवा प्रदत्त संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रमिकों के EPF और ESI का जो अंशदान विभाग द्वारा अदा किया गया है उसके जमा की रसीद प्राप्त किया जाना भी अपेक्षित रहेगा।

अतःप्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग: 2 (ब)

प्रस्तर 02: माइक्रो प्लान के बिना ₹ 11.96 लाख का व्यय।

वन पंचायत नियमावली 2005 के नियम संख्या 12 के अनुसार प्रत्येक वन पंचायत की प्रबंध समिति का यह दायित्व होगा कि क्षेत्र के संबन्धित उप-राज़िक़, वन दारोगा अथवा वन रक्षक की सहायता से ग्राम वन की सुरक्षा एवं प्रबंध हेतु एक पाँच वर्षीय माइक्रो प्लान बनाए जिसमें अधिकारधारियों की आवश्यकताओं एवं क्षेत्र के वनों में पारिस्थितिकीय संतुलन को सुनिश्चित किया जा सके। उक्त माइक्रो प्लान को वन पंचायत की आम सभा में अनुमोदन के पश्चात प्रभागीय वनाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार पंचायती वनों में वन पंचायत/वन विभाग द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में माइक्रो प्लान एक मार्गदर्शक का कार्य करता है एवं इसके द्वारा वन विभाग द्वारा ग्राम वनों में किए जाने वाले कार्यों के नियोजन में जन सहभागिता भी सुनिश्चित होती है।

प्रभाग की लेखापरीक्षा में पाया गया कि पंचायती वनों में विभिन्न कार्य किए जाने हेतु कैम्पा योजना के अंतर्गत प्रभाग द्वारा 2012-13 से 2015-16 की अवधि में ₹ 11.96 लाख धनराशि ऐसी वन पंचायतों को हस्तांतरित की गयी जिनके माइक्रो प्लान नहीं बनाए गए थे। अतः, स्पष्ट है कि वन पंचायतों को व्यय हेतु उपलब्ध करवाई गयी राशियों को जिन लक्ष्यों पर व्यय किया गया उन्हें वन पंचायत की आम सभा का अनुमोदन नहीं था एवं उक्त व्यय को सुनिर्धारित पर्यावरणीय लक्ष्यों एवं अधिकारधारकों की आवश्यकता पूर्ति हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित नहीं किया गया था। अतः, माइक्रो प्लान के बिना ही ₹ 11.96 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

इस विषय में इंगित किए जाने पर प्रभागीय वनधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि भविष्य में उक्त वन पंचायतों के माइक्रो प्लान तैयार करवा दिये जाएंगे।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या FR-119 वर्ष 2018-19

राजस्व

STAN

STAN-1 जमानत धनराशि न जमा कराया जाना ₹0.36 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनराशि	जमा धनराशि	अवशेष धनराशि
1	श्री महेंद्र सिंह रैकुनी	प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी	50000	25000	25000
2	श्री महेंद्र सिंह	वन रक्षक	10000	4000	6000
3	श्री गोधन सिंह	वन रक्षक	10000	5000	5000
योग					**36000/-**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।

अत: उक्त प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व एवं व्यय से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
40/95-96	-	1,2,3	-
45/96-97	1,2,3,4	-	-
47/98-99	1,2,3,4,5	-	-
58/1999-2000	1	1,2,3,4	-
61/2000-01	-	3	-
02/2001-02	-	1,2	-
13/2002-03	1	1,2	-
22/2003-04	1,2,3,4,5	-	-
21/2004-05	1,2	1,2,3	-
50/2005-08	1,2,3,4,5,6	-	STAN-1
116/2012-13	-	1	STAN-1

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोतम कार्य

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः शून्य**

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री टी0आर0 बिजुलाल	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, नैनीताल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र